



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 14.01.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

शातिर गैंगस्टर अभियुक्त आलम पुत्र ढोढे व सत्तार पुत्र टेनी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, लगभग 5 लाख रुपये कीमत की संपत्ति की गयी जब्त



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 14.01.2021 को थाना धौरहरा पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी आलम पुत्र ढोढे व सत्तार पुत्र टेनी निवासीगण ग्राम रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा जनपद खीरी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत लगभग 05 लाख रुपये कीमत की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करके प्राप्त धन से अवैध रूप से निर्मित किया गया मकान व 02 अदद मोटरसाइकिल शामिल है। अभियुक्त आलम व सत्तार उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध पूर्व से गंभीर अपराधों के करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-

मकान कीमत लगभग 3,86,000 रुपये।

02 अदद मोटरसाइकिल कीमत लगभग 72439 रुपये

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा कारतूस सहित अभियुक्त गुफरान को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त गुफरान पुत्र जमालू निवासी रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अदद तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके मा0 न्यायालय भेजा गया है।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा सहित अभियुक्त विनोद उर्फ सुल्ताना को
किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त विनोद उर्फ सुल्ताना पुत्र गजोधर नि० लखनापुर मजरा खम्भार खेडा थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके मा० न्यायालय भेजा गया है।

**थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को
किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध समाज विरोधी क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना खीरी पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. मुजीब पुत्र हनीफ 2. हनीफ पुत्र मो० रजा 3. शंकटा प्रसाद पुत्र स्व० राजाराम नि०गण राही रामदास थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 720 रु० नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना खीरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1282/20 धारा 143/147/149/336/435/427/504/506/353/34/269/270 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट व 20/22(1)/23 महामारी अधि0 एवं आपदा प्रबन्धन अधि0 में वांछित अभियुक्त आदित्य उर्फ रिंकू पुत्र विमलेश उर्फ गुड्डू नि0 शान्तिनगर थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ0सं0 3093/91 धारा 379/411 भादवि0 में वारण्टी अभियुक्त मनोज उर्फ अशोक कुमार पुत्र फकीरचन्द नि0 बरखेरवा थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अ0सं0 69/17 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त साजिद पुत्र अल्ताफ नि0 खमरिया थाना तिकुनिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पसगवां पुलिस द्वारा अ0सं0 102/20 धारा 376/504 भादवि0 व 3(2) एससी एसटी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त आदेश उर्फ मोनू पाल पुत्र शिवकुमार नि0 पनई थाना पसगवां खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैलानी	10 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना धौरहरा	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	30 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार